राष्ट्रीय महिला आयोग

5082. **श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और आयोग के सुझावों के अनुसार प्रत्येक राज्य में उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल क्या है तथा प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं;

(ग) सरकार ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए बजट में आयोग के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों को कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :—

1.	सुश्री जयन्ती पटनायक	अध्यक्षा
2.	सुश्री पद्मा सेठ	सदस्य
3.	सुश्री गंगा पोतई	सदस्य
4.	सुश्री सुभाषिनी अली	सदस्य
5.	सुश्री बोनोज सेनापति	सदस्य
6.	सुश्री मोनिका दास	सदस्य
7.	सुश्री उमा पिल्ले (29–5–1992 तक) तथा	सदस्य-सचिव
8.	सुश्री ऐनी प्रसाद (29–5–1992 से)	

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार, अध्यक्षा तथा प्रत्येक सदस्य अधिकाधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए पदासीन होंगे । भारत सरकार ने सुश्री गंगा पोतई का 21-10-1993 से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा आयोग के लिए निम्नानुसार बजट आबंटन किया गया :—

(लाख रुपए)

क्रम सं०	वर्ष	बजट आबंटन
1.	1992–93	125.00
2.	1993–94	175.00

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु 600 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है।